36.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(१)

-२-

7921-8209

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- /ई-2-[illegible] सन्

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
2. निदेशक, शीघ्र विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, लखनऊ।
3. समस्त निबंधक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, मुरादाबाद/वाराणसी/[illegible] क्षेत्र, [illegible]
5. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्राचार्य, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. प्राचार्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त [illegible] उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपने [illegible] में कार्यरत [illegible] कर्मचारियों को [illegible] के निर्देश दें।
9. समस्त अधिकारी द्वारा संबंध [illegible]।

(पी0 [illegible])
[illegible]
संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
[illegible], उत्तर प्रदेश।